Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई
	Government:-	अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता,
	(Adverse comments made by any	लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर को
	officer or authority in Part-B or	मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वन मंडल अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग
	Part-C or Part -D above should be	क्र. 78 (नया क्र. 43) के तहत् मनेन्द्रगढ़ से डुमरिया
	specifically commented upon)	(बैकुण्ठपुर) के चौड़ीकरण एवं उन्नयन संबंधी गैर वानिकी
		कार्य हेतु 36.99 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 4.413 हे.,
		आरक्षित वन भूमि 28.497, राजस्व वन भूमि 4.080 हे.) के
		वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर
		राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date: 08 -03-2019

Atal Nagar, Chhattisgarh Place:

Signature

Name - C.K.Khaitandditional Chief Secretary

Designation - Additional Chief Secretary

Additional Chief Secretary

Additional Chief Secretary

Control of Chhattisgarh

C.G. GovMantralaya, Atal Nagar, Raipur

Forest Department